

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 30 सितम्बर, 2021

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के अलवर एवं धौलपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई है, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव तीन चरणों में सम्पन्न कराये जायेंगे। पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के प्रावधान अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ग के प्रावधान इन चुनाव में भी लागू होंगे। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के लिये मतदान दिनांक 20.10.2021, 23.10.2021 एवं 26.10.2021 को होना है। प्रत्येक मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति से 48 घण्टे से पूर्व से सूखा दिवस घोषित कराना आवश्यक है।

अतः पंचायत राज संस्थाओं के संलग्न कार्यक्रम के अनुसार संबंधित चुनाव क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नानुसार सूखा दिवस लागू करने के निर्देश प्रदान किए जाते हैं :-

उक्तानुसार जहाँ प्रथम चरण में चुनाव होने है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 18.10.2021 को सायं 5:00 बजे से दिनांक 20.10.2021 को सायं 5.00 बजे तक, द्वितीय चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव सम्पन्न होने है उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 21.10.2021 को सायं 5:00 बजे से दिनांक 23.10.2021 को सायं 5.00 बजे तक एवं तृतीय चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव सम्पन्न होने है उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 24.10.2021 को सायं 5:00 बजे से दिनांक 26.10.2021 को सायं 5.00 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: प.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2020/III 496

,दिनांक: 05/02/

प्रतिलिपि:- जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) अलवर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) धौलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपसचिव 5/10/2021

राज्य निर्वाचन आयोग